लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट पीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 24 नवम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 3, 1940 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा

03 अक्टूबर, 2018 ई०

सं0 1171/न0आ0का0/न0नि0म0वृ0-मथुरा/2018-19-उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 385, 541(1), 541(19), 541(26), 541(29), 541(36) 541(42) एवं धारा 542 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के दृष्टिगत नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा "नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के ठोस प्रबन्धन उपविधियां 2017" तैयार करते हुये सर्वसाधारण से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दो दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में 25.10.2017 को प्रकाशित कराया गया। नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा में उपविधि को मा0 कार्यकारिणी के समक्ष दिनांक 09.02.2018 को रखा गया जिसे तद्दिनांक को मा0 कार्यकारिणी द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 21 दिनांक 09.02.2018 को आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है। जिसे संशोधनोपरान्त मा0 सदन के समक्ष दिनांक 29.06.2018 को रखा गया जिसे मा0 सदन द्वारा सर्वसम्मति से अपने प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 29.06.2018 को पारित कर दिया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 541 के अधीन बनायी गयी उपविधि धारा 544(1) के प्राविधानों के अनुपालन में किया जाता है जो गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगी।

1—संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ—

(क) यह उपविधि नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के ठोस प्रबन्धन उपविधि 2017 कहलायेगी।

(ख) ये उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2—लागू होना—

ये उपविधि, नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में समान रूप से प्रभावशील होगी।

3—परिभाषाएं—

(क) "वातनिरपेक्ष पाचन" से ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें ऑक्सीजन के अभाव में कार्बनिक पदार्थ का माइक्रोबायिल वियोजन अन्तर्वलित है।

(ख) "प्राधिकार" से "सुविधा के प्रचालक" को बोर्ड या समिति द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है।

(ग) "जैव निम्नकरणीय पदार्थ" से यह अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है।

(घ) "जैविक मीथेनीकरण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो मीथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एन्जाईमी विघटन करती है।

34 हि०ग०-5

Scanned with CamScanner

(ङ) "संग्रहण" से संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्टों को उठाना और हटाया जाना अभिप्रेत है।

(च) "कचरा खाद बनाने" से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक प्रदार्थ का सूक्ष्मजैविक निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(छ) "ढहाने तथा निर्माण संवंधी अपशिष्ट" से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने संवंधी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोडियों और मलवे में उदभूत अपशिष्ट अभिप्रेत हैं।

(ज) "व्ययन" से भूजल सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता को प्रदूषण से वचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(झ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है।

(ञ) "अपशिष्टों के उत्पादक" से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है।

(ट) "भूमिवरण" से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, वदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल, अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटान अभिप्रेत है।

(ठ) "निक्षालितक" से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसको ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।

(ड.) "लाईसोमीटर" से ऐसी युक्ति अभिप्रेत हैं जिसका प्रयोग मृदा परत के माध्यम से या उसमें से जल की गति मापने के लिए किया जाता है या जिसका प्रयोग गुणवत्ता विश्लेषक के लिए अन्तःस्त्राव जल के एकत्रण के लिए किया जाता है।

(ढ) "नगर निगम प्राधिकारी" से नगरी निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(ण) "नगर ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों मे पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(त) "प्रसुविधाओं के प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डार, परिवहन प्रसंस्करण और निपटान की प्रसुविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अभिकरण भी आता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रवन्धन और संचालन के लिए नगर निगम प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है।

(थ) "गुटिकाकरण" से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे गुटिकाऐं तैयार की जाती हैं जो ठोस अपशिष्टों से तैयार की गई लघु क्यूब या बेलनाकार टुकड़ों में होंगे और इसके अन्तर्गत ईधन गुटिकाऐं भी आती हैं, जिसे कचरे से प्राप्त ईधन के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है।

(द) "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नए या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(ध) "पुनःचक्रण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नए उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को कचरा खाद में परिवर्तन करता है, जो कि अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(न) "अनूसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(प) "पृथक्करण" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्वनिक, अकार्वनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग-अलग करना अभिप्रेत है।

(फ) "राज्य वोर्ड या समिति" से यथास्थिति, राज्य का राज्य प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड या संघ क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है।

(ब) "भण्डारण" से नगरीय ठोस अपशिष्टों की अस्थायी रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत हैं, जिससे कूड़ा-करकट बिखरने, रोगवाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(भ) "परिवहन" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखेरने, तथा रोगवाहकों की पहुँच को रोका जा सके।

Scanned with CamScanner

(न) "अधिभौमजल" से वह जल अभिप्रेत है जो भू-सतह तथा भौम जल स्तर के माध्यम अर्थात असंतृप्त क्षेत्र में होता है।

(य) "कृमि कचरा खाद बनाना" जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिए केंचुओं को उपयोग में लाने की प्रक्रिया है।

(र) इसमें प्रयुक्त जिन शब्दों और पदों का अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु नगर निगम अधिनियम 1959, नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 में परिभाषित है, के अर्थ होंगे जो सम्बन्धित अधिनियम में है।

4—नगर ठोस अपशिष्टों को पृथक्करण—

(क) समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थानों से उपसर्जित नगरीय ठोस अपशिष्टों के उद्गम स्थल पर ही पृथक-पृथक सूखा व गीला कचरा उपर्युक्त ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही निर्धारित समय पर उनको डोर टू डोर संग्रहण की उपलब्ध कराई गई सेवा को मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा ताकि आम सड़कों, मार्गों पर निगम द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गन्दगी कूड़ा-करकट नहीं फैले अन्यथा एन्टी लिटरिंग केयरिंग चार्जेज मौके पर वसूल किया जा सकेगा। पुनरावृत्ति पर न्यायालय में नियमानुसार अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(ख) नगर निगम, मथुरा वृन्दावनद्वारा समय-समय पर नागरिकों को स्वच्छता के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु नगर निगम स्थानीय रेजिडेन्ट वेलफेयर, ऐसोसिऐशन, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, नगर निगम, मथुरा वृन्दावन से अनुबन्धित सफाई के संविदाकारों तथा नागरिकगणों को समझाने एवं कचरा पृथक्करण कर भण्डारित करने व विधिवत परिवहन कराने के लिए प्रोत्साहित करने को अधिकृत होगा।

5—नगरीय ठोस अपशिष्टों का भण्डारण—

नगर निगम, मथुरा वृन्दावन अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये क्षेत्रीय संविदाकारों के माध्यम से ठोस अपशिष्टों के भण्डारण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षा ऐसी रीति से करेगा, जिससे कि इसके आस-पास अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हो। भण्डारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा :—

(क) निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भण्डारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी परन्तु दो भण्डारण सुविधाओं में न्यूनतम दूरी 500 मीटर की होगी और 01 किलोमीटर की परिधि में अधिकतम 05 से ज्यादा भण्डारण की सुविधा नहीं होगी। भण्डारण सुविधा मोबाईल ढक्कन द्वारा कन्टेनर के रूप में ऐसे स्थान पर ही होगी जहाँ प्रयोक्ता पहुँच सकें।

(ख) नगर निगम, मथुरा वृन्दावन अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली भण्डारण सुविधा का डिजायन ऐसा होगा जिससे कि इकट्ठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो सौन्दर्यपरक रूप में प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो एवं उसे कूड़ादान के भीतर ही अपना कचरा खाली करने के लिए प्रेरित करें।

(ग) नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा निर्धारित कूड़ादान स्थलों पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार रंग के पृथक-पृथक कन्टेनर भी रखवाये जा सकते हैं :—

(ए) हरा — जैव निम्नीकरण अपशिष्टों हेतु।

(वी) सफ़ेद — पुनः चक्रणयोग्य अपशिष्टों हेतु।

(सी) काला/पीला/नीला — अन्य साधारण अपशिष्टों हेतु।

इन कन्टेनरों से कूड़े/अपशिष्टों के हथलन निकाले जाने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजायन के केरीयर वाहन, काम्पेक्टर उपयोग में लिये जायेंगे।

Scanned with CamScanner

(घ) शहर में स्थित सभी कोआपरेटिव सोसायटीज, एसोसियेशन, आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान, के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व के उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संख्या में अपने रंग के कन्टेनर, जिसकी डिजायन नगर निगम, मथुरा वृन्दावन से अनुमोदित हो, अपने परिसर में स्थापित करें ताकि वहां उत्सर्जित दैनिक कचरे का भली-भांति पृथक-पृथक भण्डारण हो सके। जिन्हें नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के वाहनों से समयबद्ध रूप से खाली करवाने हेतु वे नगर निगम, मथुरा वृन्दावन को देय यूजर चार्जेज पर अनुबन्ध कर वाहनों की व्यवस्था करवा सकेंगे।

(ङ) समस्त नागरिकों का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में उत्पन्न पुनः चक्रित अपशिष्टों को क्षेत्र में कार्यशील कचरा बीनने वाले (रैगपिकर्स) नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा अधिकृत व्यक्ति या कबाड़ी को विक्रय कर दें व किसी भी स्थिति में आम सड़क पर अथवा निगम के कूड़ादान / कन्टेनर में नहीं डालें।

(च) कार्यवाही-नगर निगम, मथुरा वृन्दावन व अन्य व्यवस्था द्वारा (बीओटी / बीजीएफ / स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के आधार पर) की जायेगी और इस व्यवस्था को सभी संस्थानों को नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा अनुमोदित यूजर चार्जेज देकर अपनाना होगा अन्यथा ऐसे ठोस अपशिष्ट फैलाने वालों से केयरिंग चार्जेज मौके पर तत्काल वसूल किया जा सकेगा अथवा अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(छ) बूचड़खानों, मास-मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट को जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है, प्रबन्ध इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्ट को उपयोग मे लाया जा सके और इनसे कोई संक्रामक बीमारियाँ नहीं फैले, इसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसे व्यवसायियों को स्वतः अपने स्तर से प्रबन्धन कर इनका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करना होगा अथवा नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा डोर टू डोर संग्रहण, परिवहन व निस्तारण हेतु लागू योजना को अपनाकर इसका पालन सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केयरिंग को अपनाकर इसका पालन सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केयरिंग चार्जेज मौके पर वसूल किये जा सकेंगे अथवा न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(ज) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जायेगा और ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जायेगा। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को नियमानुसार निस्तारण हेतु कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट सुविधा लागू की गई है। उपलब्ध करवाई गई कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी सयंत्र से देय निर्धारित शुल्क पर ऐसे हानिकारक अपशिष्ट का निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

(झ) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को पृथक-पृथक ट्राई साईकिल रिक्शे अथवा ऑटो ट्रिपल गाड़ियों से निर्धारित सामुदायिक कूड़ाघर / ढके हुए कन्टेनरों से प्रसंस्करण प्लांट पर डलवाया जायेगा।

(ञ) बागवानी और निर्माण / ढहाए गये कार्यो से उदभूत अपशिष्टों / मलबे को अलग-अलग संग्रहित किया जायेगा एवं समुचित मानकों के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा। नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा इस हेतु सप्ताह में एक दिवस निर्धारित कर अपेक्षा की जायेगी कि बागवानी से अपशिष्टों को नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के निर्धारित नजदीक के कूड़ाघर पर मध्यान्ह तक आवश्यक रूप से डलवा दिया जाये ताकि उनका समय पर परिवहन सम्भव हो सके। निजी निर्माण / ढहाये गये मकानों के शेष अपशिष्ट अपने स्वयं के प्रबन्धन पर अथवा नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा अधिकृत संविदाकार को देय निर्धारित शुल्क पर परिवहन करवाकर निर्धारित चिन्हित गंतव्य स्थल तक पहुंचाना होगा। खुले स्थलों, मार्गो, सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत रूप से अपना ऐसा निजी मलबा डालना / रखना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय होगा।

(ट) अपशिष्ट (कूड़ा करकट, सूखी पत्तियों) को जलाया नहीं जायेगा।

Scanned with CamScanner

(ठ) कोई भी स्वामी अपने परिसर, प्लाट आदि का प्रयोग कूड़ा डालने (स्वयं व अन्य) तथा अपशिष्ट को जमा करने में प्रयोग नहीं करेगा न करने देगा।

(ड) कोई भी व्यक्ति/फर्म अपने आवास/प्रतिष्ठा/फैक्ट्री का दूषित पानी बोर कर भूगर्भ जल में नहीं डालेगा।

(ढ) आवारा पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा शहर में किसी अन्य स्थान के आस-पास मूल रूप से घूमने नहीं दिया जायेगा तथा उनका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।

(ण) कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी कीचड़, पानी, नाईट स्वायल गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में इस प्रकार न तो एकत्रित रखेगा न सार्वजनिक मार्गों पर बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषण हो व जन स्वास्थ्य को हानि होने की सम्भावना रहे अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरुद्ध तत्काल कैरिंग चार्ज वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

(त) कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक पार्कों इत्यादि में एकत्रित कर किसी प्रकार का प्रदूषण गन्दगी फैलाते हुए पाया जाता है तो दण्डनीय अपराध होगा और उससे कैरिंग चार्ज भी वसूला जायेगा।

(थ) कोई भी व्यक्ति अपने पालतू पशुओं को सार्वजनिक स्थल पर खुला नहीं छोड़ेगा।

6—नगर निगम, मथुरा वृन्दावन का दायित्व—

(क) नगर निगम, मथुरा वृन्दावन प्रशासन द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सभी सार्वजनिक मार्गों, स्थलों, कच्ची बस्तियों, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों, बाजारों, पर्यटक स्थलों के आस-पास नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के स्वयं के उद्यानों, श्मशान इत्यादि में प्रतिदिन व सम्पूर्ण वर्ष भर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं यहां से एकत्रित किया गया कूड़ा कचरा, नजदीक के घोषित कूड़ादान/कन्टेनर में एकत्रित करवा कर वहाँ से प्रतिदिन उसका परिवहन अन्तिम निस्तारण स्थल तक बंद वाहनों में करवाने के लिए प्रतिबद्ध होगी जिसके लिए नगर निगम, मथुरा वृन्दावन अपने स्वयं के स्थाई सफाई कर्मचारियों एवं वाहनों के लिए अन्य सफाई कर्मचारी रहित कॉलोनियों, क्षेत्रों में निजी संविदाकार से सम्पूर्ण अथवा आंशिक दैनिक सफाई कार्य करवाने के लिए अधिकृत होगी ताकि प्रत्येक क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा जन स्वास्थ्य के हित में स्वच्छता व सुन्दरता सुनिश्चित करने में समर्थ हो सके।

(ख) शहर की दैनिक सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था के प्रबन्धन हेतु नगर निगम, मथुरा वृन्दावन अपने शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड कार्यालय (शिकायत केन्द्र) आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर (कूड़ादान/कन्टेनर सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय) सामुदायिक कूड़ादान कचरे को ट्रांसफर स्टेशन, शहर के कूड़े के अन्तिम निष्कासन हेतु (कचरागाह/लेण्डफिल) प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि स्थापित करने को स्वतंत्र होगा। नगर निगम मथुरा वृन्दावन के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन निर्धारित प्रावधानों के तहत किया जायेगा, तथा जिसे सम्बन्धित अपशिष्ट निर्माता द्वारा अपनाया जायेगा।

7—नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण—

नगर निगम, मथुरा वृन्दावन क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा करकट फैलाना प्रतिषेध होगा। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों मार्गों, निजी खुले स्थलों, पार्कों, पानी के स्त्रोतों इत्यादि पर गन्दगी कूड़ा-करकट फैलाते व रखते पाया गया तो नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नहीं हो संलग्न "अनुसूची-अ" में घोषित/समय-समय पर नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा निर्धारित केयरिंग चार्जेज़ ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने के लिये सक्षम होगा। नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा इस हेतु :—

(क) नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अनुपालन में घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिये "स्वच्छता मित्र आपके द्वार" योजना निगम के सभी क्षेत्रों/वार्डों में लागू की जायेगी।

Scanned with CamScanner

(ख) घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र में निश्चित समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। सामान्यतः समय प्रातः 7:00 बजे से 12:00 बजे तक नियमित रूप से किया जायेगा। किन्तु विशेष सफाई के प्रयोजनार्थ नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा निर्धारित समय का पालन सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक कचरा संग्रहण कार्यकर्ता की ट्राई साईकिल पर घंटी/भोंपू (जिसकी आवाज अनुज्ञेय मानदण्ड से अधिक न हो) भी लगाया जाये ताकि कंचरा संग्रहण के समय इसे बजाकर निवासियों को सूचित किया जा सकें।

(ग) व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों से कचरा संग्रहण हेतु सामान्यतः समय प्रातः 09:00 बजे से 01:00 बजे तक रखा जायेगा।

(घ) नगर कंचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर से कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरें प्रस्तावित है :—

क्र0सं0	उपयोग का प्रकार	अवधि	प्रस्तावित दरें
1	2	3	4
			रु0
1	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले—		
	(अ) झोपडी	प्रतिमाह	निःशुल्क
	(ब) पक्का घर/फ्लैट/ई0डब्लू0एस0 (1 बी0एच0के0)	प्रतिमाह	30.00
2	एल0आई0जी0	प्रतिमाह	40.00
3	एम0आई0जी0 200 वर्ग मीटर वाले	प्रतिमाह	50.00
4	एच0आई0जी0 200 वर्ग मीटर वाले	प्रतिमाह	70.00
5	सब्जियों एवं फलों के विक्रेता—		
	(अ) ठेला	प्रतिमाह	100.00
	(ब) चलती फिरती दुकान वाले	प्रतिमाह	250.00
6	मांस—मछली की दुकान वाले—		
	(अ) सडकों के किनारे	प्रतिमाह	350.00
	(ब) मांस एवं मछली की दुकान लगाने वाले	प्रतिमाह	700.00
7.	रेस्टोरेंट—		
	(अ) छोटे रेस्टोरेंट 200 वर्गफिट तक	प्रतिमाह	1,000.00
	(ब) मध्यम रेस्टोरेंट 200 वर्ग फिट से 300 तक	प्रतिमाह	1,200.00
	(स) 300 वर्ग फिट से अधिक	प्रतिमाह	1,500.00
	(द) अस्थायी फास्ट फूड विक्रेता	प्रतिमाह	500.00
8	होटल/लाज/गेस्ट हाउस—		
	(अ) 20 बेड	प्रतिमाह	1,750.00
	(ब) 21 से 40 बेड	प्रतिमाह	3,500.00
	(स) 41 से अधिक बेड	प्रतिमाह	7,000.00
	(द) 1000 वर्ग मीटर से अधिक (तीन सितारा व उससे अधिक)	प्रतिमाह	14,000.00

Scanned with CamScanner

1	2	3	4
			रु०
9	धर्मशाला–		
	(अ) अवातानुकूलित धर्मशाला	प्रतिमाह	350.00
	(ब) वातानुकूलित धर्मशाला	प्रतिमाह	1,500.00
10	मैरेज हॉल –		
	(अ) 1000 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	2,500.00
	(ब) 1001 से 5000 वर्ग मीटर तक	प्रतिमाह	4,900.00
	(स) 5001 वर्ग मीटर से अधिक	प्रतिमाह	10,500.00
11	बेकरी एवं मिठाई की दुकान –		
	(अ) 100 वर्ग फिट से 999 फिट तक	प्रतिमाह	350.00
	(ब) 1000 वर्ग फिट से 1999 फिट तक	प्रतिमाह	525.00
	(स) 2000 वर्ग फिट से अधिक तक	प्रतिमाह	700.00
12	कार्यालय सरकारी एवं गैर सरकारी/प्राईवेट लि0/एक्सपोर्ट फर्म/क0 –		
	(अ) 50 कर्मचारी तक	प्रतिमाह	175.00/700.00
	(ब) 50–100 कर्मचारी तक	प्रतिमाह	350.00/1,400.00
	(स) 101 से 300 कर्मचारी तक	प्रतिमाह	525.00/2,100.00
	(द) 301 कर्मचारी से अधिक	प्रतिमाह	700.00/2,800.00
13	स्कूल शिक्षण संस्थान हास्टल सहित –		
	(अ) 100 बेड	प्रतिमाह	3,000.00
	(ब) 100 बेड से अधिक	प्रतिमाह	3,000.00
14	स्कूल/शिक्षण संस्थान/सरकारी एवं गैर सरकारी –		
	(अ) 500 छात्र/छात्रा	प्रतिमाह	1,050.00/2,100.00
	(ब) 500 से अधिक छात्र/छात्रा	प्रतिमाह	1,750.00/3,500.00
15	इंजी/एम0बी0ए0/व्यवसायिक शिक्षण संस्थान/सरकारी एवं गैर सरकारी		
	(अ) 500 छात्र/छात्राओं तक	प्रतिमाह	3,500.00/7,000.00
	(ब) 501 से 1000 छात्र/छात्राओं तक	प्रतिमाह	7,000.00/14,000.00
	(स) 1001 से अधिक छात्र/छात्राओं तक	प्रतिमाह	10,500.00/21,000.00

Scanned with CamScanner

1	2	3	4
			रु0
16	सरकारी अस्पताल		
	निजी अस्पताल / नर्सिंग होम–		
	(अ) 1 – 20 बेड	प्रतिमाह	1,000.00
	(ब) 21–40 बेड	प्रतिमाह	8,400.00
	(स) 41–100 बेड	प्रतिमाह	14,000.00
	(द) 100 बेड से अधिक	प्रतिमाह	28,000.00
17	क्लीनिक / पैथालाजी / एक्सरे (चिकित्सकीय कूड़ा रहित)–		
	(अ) क्लीनिक	प्रतिमाह	500.00
	(ब) पैथालाजी / एक्सरे	प्रतिमाह	1,000.00
18	दुकान / चाय की दुकान–		
	(अ) मोहल्ले में	प्रतिमाह	300.00
	(ब) वाणिज्यिक क्षेत्र में	प्रतिमाह	1,000.00
19	आवासीय दुकान–		
	(अ) बिना खाद्य पदार्थों के	प्रतिमाह	300.00
	(ब) खाद्य पदार्थों की बिक्री के साथ	प्रतिमाह	450.00
20	शो–रूम–		
	(अ) दुपहिया वाहन	प्रतिमाह	1,000.00
	(ब) दुपहिया वाहन वर्कशाप के साथ	प्रतिमाह	3,500.00
	(स) चार पहिया वाहन	प्रतिमाह	2,000.00
	(द) चार पहिया वाहन वर्कशाप के साथ	प्रतिमाह	7,000.0
21	मॉल / व्यावसायिक काम्पलैक्स–		
	(अ) 1 से 100 मी0 तक	प्रतिमाह	3,500.00
	(ब) 1001 से 2000 मी0 तक	प्रतिमाह	7,000.00
	(स) 2001 से 5000 मी0 तक	प्रतिमाह	10,000.00
	(द) 5001 मी0 से ऊपर	प्रतिमाह	14,000.00
22	अनऔद्योगिक इकाई एवं उत्पादन संस्थायें –		
22–1	Non Mechanical and Electrical Units-		
	(अ) 1 से 500 मी0 तक	प्रतिमाह	500.00
	(ब) 501 से 1000 मी0 तक	प्रतिमाह	1,000.00
	(स) 1001 से 2000 मी0 तक	प्रतिमाह	1,500.00
	(द) 2001 से 5000 मीटर तक	प्रतिमाह	2,500.00
	(ध) 5001 मी0 से ऊपर	प्रतिमाह	4,000.00

1	2	3	4
22(2)	औद्योगिक इकाई एवं उत्पादन संस्थायें –		
	Mechanical and Electrical Units-		
	(अ) 1 से 500 मी0 तक	प्रतिमाह	500.00
	(ब) 501 से 1000 मी0 तक	प्रतिमाह	1000.00
	(स) 1001 से 2000 मी0 तक	प्रतिमाह	1500.00
	(द) 2001 से 5000 मीटर तक	प्रतिमाह	2500.00
	(ध) 5001 मी0 से ऊपर	प्रतिमाह	4000.00
23	कबाड़ी/रद्दी आदि का संग्रहण करने वाले –		
	(अ) 1 से 50 मी0 तक	प्रतिमाह	200.00
	(ब) 51 से 100 मी0 तक	प्रतिमाह	500.00
	(स) 101 से 200 मी0 तक	प्रतिमाह	700.00
	(द) 201 से 500 मी0 तक	प्रतिमाह	1050.00
	(ध) 501 मी0 से अधिक	प्रतिमाह	1400.00
24	जूस/गन्ने का जूस	प्रतिमाह	300.00
25	पब्लिक/प्राईवेट प्रदर्शनी/विवाह/प्रतियोगिता आदि	प्रतिदिन	500.00
26	पैट्रोल पम्प–		
	(अ) पैट्रोल पम्प	प्रतिमाह	500.00
	(ब) पैट्रोल पम्प/सी0एन0जी0 पम्प सर्विस स्टेशन के साथ	प्रतिमाह	1750.00
	(स) सर्विस स्टेशन तथा मोटर गैरेज	प्रतिमाह	1400.00
27	डेयरी–		
	(अ) गाय, भैंस पालन (प्रति पशु)	प्रतिमाह	100.00
	(ब) घी, क्रीम, मक्खन, दूध की दुकान/प्रतिष्ठान	प्रतिमाह	600.00
28	शराब की दुकान–		
	(अ) केवल शराब की दुकान	प्रतिमाह	1400.00
	(ब) कैन्टीन के साथ शराब की दुकान	प्रतिमाह	3500.00
29	बैंक	प्रतिमाह	1500.00

(ङ) घर-घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक घर से निगम अथवा निगम द्वारा अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जायेगा। उक्त दरों की संस्था/व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार-प्रसार किया जायेगा एवं दरों को रिक्शा ट्राली/ऑटो ट्रिपर पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। अधिकृत संस्था/व्यक्ति को रिक्शा ट्रोली/ऑटो ट्रिपर पर संस्था/व्यक्ति का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना होगा।

Scanned with CamScanner

(च) संस्था/व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट संबंधित नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि को प्रस्तुत करनी होगी।

(झ). होटल/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय परिसरों तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित झुग्गी-झोपड़ी तथा इधर-उधर फैले क्षेत्रों/बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करने हेतु व्यवस्था की जायेगी। इन संस्थानों से उत्सर्जित बायो डिग्रेडेबल सब्सटेन्स के उद्गम स्थल से बन्द वाहनों में एकत्रित कर, बन्द वाहनों से परिवहन कर नियमानुसार इनके अंतिम निस्तारण स्थल पर ले जायेगा।

(ज) इन कन्टेनर के अपशिष्ट को मानव द्वारा उठाई-धराई किया जाना, प्रतिबन्ध करना आदि। किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुये समुचित पूर्ण सावधानी के अधीन मानव द्वारा उठाई-धराई की जा सकेगी।

(झ) किसी भी व्यक्ति द्वारा जनसुविधा के लिए नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा सड़कों/मार्गों/पार्कों इत्यादि पर अपशिष्टों के भण्डारण हेतु उपलब्ध करवाये गये विभिन्नि क्षमता के बिन्स अथवा कन्टेनर के भीतर कचरा न डालकर, जानबूझकर कचरा बाहर फैलाना निषेध होगा व ऐसा करते हुये पाये जाने वाले व्यक्ति/संस्था से मौके पर ही केयरिंग चार्जेज वसूल किया जा सकेगा।

(ञ) नगर निगम, मथुरा वृन्दावन कन्टेनर्स रहित व्यवस्था भी कर सकेगी लेकिन ऐसे संस्थानों पर कचरा उठाने की बारम्बारता अधिक सुनिश्चित करनी होगी ताकि कचरा सड़कों पर पड़ा नहीं रहे।

8—नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन—

अपशिष्टों का परिवहन करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन ऊपर से भली-भाँति ढके हुए होंगे ताकि अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे सके और न ही यातायात के दौरान अपशिष्ट मार्गों पर बिखर सके तथा इसके लिये निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जायेगा।

(क) स्थापित भण्डारक सुविधाओं से प्रतिदिन कूड़ा—कचरा साफ किया जायेगा। कूड़ादान के साथ-साथ आस-पास का क्षेत्र भी साफ सुथरा रखा जायेगा।

(ख) परिवहन वाहनों का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अन्तिम व्ययन करने के पूर्व बार-बार की जाने वाली उठाई-धराई से बचा जा सके।

9—नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण—

नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्वीकृति प्राप्त कर विधिवत आवंटित अथवा प्राप्त स्थलों पर स्वीकृत समुचित तकनीकी अथवा ऐसी विविध तकनीकों को अपनाते हुये जिससे कि भूमि भरण पर भार कम किया जा सके के लिए निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जा सकेगा—

(क) जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिए—कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, वात निरपेक्ष पाचन अथवा अन्य किसी उपयुक्त जैविक संसाधन अपनाकर प्रसंस्कृत किया जा सकेगा, जिससे नगर निगम स्वयं अपने स्तर से अथवा किसी संस्था को लाईसेंस प्रदान कर बीओटी/ओ०ओ० पद्धति से कार्य करवा सकेगा।

(ख) पुनः प्राप्त संसाधनों वाले मिश्र अपशिष्ट के लिये रिसाइकिलिंग प्रक्रिया अपनाते हुए विशिष्ट मामलों में अपशिष्ट प्रक्रिया के लिए इनसीनरेशन के साथ अथवा उसके बिना ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पेलेटाईजेशन के प्लॉट अथवा और कोई नवीनतम पद्धति है तो स्वयं या कोई सुविधा प्रचालक बीओटी/बी०ओ०ओ०टी० पद्धति पर स्थापित करने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से तकनीकी अनुमोदन करवाकर किसी संस्था को अधिकृत लाईसेंस जारी कर सकेगा।

Scanned with CamScanner

10—नगरीय ठोस अपशिष्ट का व्ययन—

भूमिभरण में जैव अनिम्नीकरणीय निष्क्रिय अपशिष्ट अथवा अन्य ऐसे अपशिष्ट को जो न तो पुनःचक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिए समुचित है निर्धारित रखा जायेगा। भूमिभरण अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रसंस्करण पूर्व छोड़े गये अपशिष्ट से भी बचा जायेगा जब तक उसे अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिये उपयुक्त न पाया जाये। अपरिहार्य परिस्थितयों अथवा वैकल्पिक सुविधायें स्थापित किये जाने तक नगर निगम, मथुरा वृन्दावन अपने सैनेटरी लैण्डफील साईट पर निर्धारित मानदण्डो को अपनाते हुए भूमिकरण कर सकेगा।

11—अभियोजन / शास्तियां —

नगर निगम मथुरा वृन्दावन के "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की उपविधि, 2017 के उपरोक्त किसी भी बिन्दु का पालन नहीं करने अथवा उसका उल्लंघन करने पर नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत अभियोजन दर्ज कराया जा सकेगा तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 पर तदधीन निर्मित नियमों के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के लिये पर्यावरण विभाग को सिफारिश कर सकेगा।

(1) इस उपविधि के प्रवर्तन में आने से पूर्व में निश्चित उपविधियों के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इस उपविधि के प्रभावीशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जायेगा। बशर्ते की ऐसा कार्य इन उपविधि के विपरीत न हो।

(2) ऐसा निरसन इस प्रकार विनिश्चित उपविधि के अधीन की गयी किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व दी गयी किसी शास्ति, समपहरण या किये गये किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधि कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।

(3) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं ठोस अपशिष्ट यदि कोई व्यक्ति जुर्माना / केयरिंग चार्ज देने में असफल रहता है तो उसके प्रति नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 के अर्न्तगत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी तथा भू-राजस्व की भाँति बकाया धनराशि वसूल की जायेगी।

4- "अनुसूची – अ"

उपविधियों के उल्लंघन में किये गये कृत्यों के लिए निर्धारित केयरिंग चार्ज

क्र0 सं0	कृत्य	नगर निगम द्वारा आरोपित धनराशि
1	2	3
		रु0
1	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	100.00 प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	200.00 प्रतिदिन
3	रेस्टोरेन्ट मालिक द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
4	होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,000.00 प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
6	हलवाई, चाट, पकोड़ी, फास्ट फूड, आईसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फ्रूटआदि ठेला व्यवसायियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने पर	200.00 प्रतिदिन

Scanned with CamScanner

1	2	3
		रु०
7	शहर के क्षेत्र की यमुना नदी/अन्य नदियों/तालाबों में कूड़ा प्रवाहित करने पर	500.00 प्रतिदिन
8	डेरियों मालिकों द्वारा गोबर को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना अथवा नाला/नाली में बहाने पर	500.00 प्रतिदिन
9	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	200.00 प्रतिदिन
10	निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलवा, गोवर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
11	सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक फिल्मी प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	1,000.00 प्रतिदिन
12	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के रोडकटिंग करने पर तथा नाली तोड़ने की दशा में	1,000.00 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज
13	अपने मकान भवन का सैप्टिक टैंक न होने/सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
14	क्रमांक 2 से 6 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	500.00 प्रतिदिन
15	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	500.00 प्रतिदिन
16	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियाँ, मलवा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
17	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा, घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	100.00 प्रतिदिन
18	शादी/विवाह स्थलों का कूड़ा सार्वजनिक स्थल पर डालने पर	500.00 प्रतिदिन
19	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले आम मांस-मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
20	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	100.00 प्रतिदिन
21	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	100.00 प्रतिदिन

Scanned with CamScanner

1	2	3
		रु०
22	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	1,000.00 प्रतिदिन
23	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
24	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क, फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
25	विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक पैथोलोजी इत्यादि के जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर।	1,000.00 प्रतिदिन
26	सड़क के किनारे वॉशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में।	200.00 प्रतिदिन तथा पानी का कनेक्शन काटने का चार्ज
27	खुले में शौच करने पर व सड़क के किनारे शौच करने पर	100.00 प्रति
28	व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टबिन न रखने पर	पहली बार 100.00 दोबारा पाए जाने पर 500.00
29	सार्वजनिक स्थल सड़क पर थूकने पर	100.00 प्रतिदिन
30	खुले में व सड़क के किनारे पेशाब करने पर	100.00 प्रतिदिन
31	मानक रहित पॉलिथिन में कूड़ा रखने पर	100.00 प्रतिदिन
32	सड़क पटरी सार्वजनिक भूमि पर जनरेटर रख अतिक्रमण करने पर—	
	(अ) 5 के०वी० तक	500.00 प्रतिदिन
	(ब) 5 के०वी० ऊपर	1000.00 प्रतिदिन
33	मोटर गैरिज	500.00 प्रतिदिन
34	केवल वाशिंग लाईन	500.00 प्रतिदिन
35	2 पहिया मैकेनिक वर्कशॉप	500.00 प्रतिदिन
36	गाडियों/लोहे के कबाडी	500.00 प्रतिदिन

उपविधियों का उल्लंघन करने पर स्थल पर जुर्माना/केयरिंग चार्ज लगाने हेतु नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी—

1—जोनल सैनेटरी अधिकारी।
2—मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक।
3—सफाई एवं खाद्य निरीक्षक।
4—सहायक अभियन्ता।
5—अवर अभियन्ता (निर्माण/जल)।
6—अधीक्षक (कर)।
7—राजस्व निरीक्षक।

समीर वर्मा,
नगर आयुक्त,
नगर निगम,
मथुरा-वृन्दावन, मथुरा, उ०प्र०।

34 हि०ग०--8—2018